भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 324

जिसका उत्तर दिनांक 13.12.2018 को दिया जाना है

रेडियोधर्मिता परमाणु ईंधन अपशिष्ट का भंडारण

324. श्री मोहम्मद अली खान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त रेडियोधर्मिता ईंधन को भंडारित करने की सुविधाएं नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार परमाणु ईंधन के इस अपशिष्ट को कुडनकुलम तथा अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भंडारित करने के लिए भंडारण इकाइयां स्थापित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) विद्यमान सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, भुक्तशेष परमाणु ईंधन का विहित मात्रा में सुरक्षित भंडारण करने के लिए भुक्तशेष ईंधन भंडारण बे/ भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधाएं हैं।

(ख) भारत, बंद ईंधन चक्र नीति का अनुसरण करता है और भुक्तशेष ईंधन को अपशिष्ट नहीं माना जाता, बल्कि अगले चरण का ईंधन प्राप्त करने के लिए उसे पुनःसंसाधित किया जाता है। पुनःसंसाधन सुविधाएं स्थापित किए जाने और पुनःसंसाधन के लिए ईंधन लिए जाने तक, भुक्तशेष परमाणु ईंधन के भंडारण (रिएक्टरों में भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधाओं में भंडारित मात्रा के अलावा) के लिए कुडनकुलम में 'रिएक्टर से दूर (ए एफ आर)' एक अतिरिक्त भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा स्थापित की जा रही है।

तारापुर, महाराष्ट्र में 1990 से (ए एफ आर-1) तथा 2012 से (ए एफ आर-2) और रावतभाटा, राजस्थान में 2005 से ए एफ आर, पहले से ही सुरक्षित रूप से प्रचानलरत हैं।

******